फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
श्रीमति मूलीदेवी पत्नि खोगारामजी जाति सरगरा निवासी मालारी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार,बाली

राजस्व विविध प्रकरण सं. 114/2021 GCMS NO. /

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.10.2021	वकील प्रार्थीगण श्री विरमदेव सोनींगरा व प्रार्थीगण स्वयं ने प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 शिविर शिवतलाव में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम मालारी पटवार हल्का शिवतलाव के खसरा नंबर 595, 602, 604, 605 कुल रकबा 3.27 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज पिता की वल्दियत **त्रुटिपुर्ण खंगार पत्र भबुता** को दुरस्ती के माध्यम से खंगार पुत्र खेताजी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की प्रति, जिसमें इसी भूमि के 3/4 हिस्सा में दर्ज दादा का नाम सही तौर से खेता दर्ज हैं, एवं सैटलमेंट पुर्व की जमाबंदी की प्रति जिसके अनुसार भबूता0 खंगार पि. खेता दर्ज है, अर्थात् भबूता व खंगार दोनो भाई है तथा खेता के पुत्र है। तथा प्रार्थीगण खंगार के वारिशान होने से रेकर्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण वल्दियत की शुद्धि के लिये तहसीलदार, बाली के समक्ष आवेदन किया गया हैं। पटवारी हल्का, शिवतलाव द्वारा इस सबंध में जांच कर मौका फर्द भी दिनांक 03.09.2018 को तैयार की गई, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार, बाली द्वारा आदेश भी दुरस्ती बाबत् दिया परन्तु दुरस्ती नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड भू0 प्रबन्ध पुर्व की जमाबंदी एवं भू0प्रबन्ध बाद की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, प्रार्थी के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति जिसके अनुसार **वल्दियत खंगारराम पुत्र खेताराम दर्ज** है। इसके साथ ही जमाबंदी सवंत् 2071 से 2074 में इसी भूमि में 3/4 हिस्सा बतौर सह खातेदार खंगारा पुत्र खेता सही तौर पर अंकन है, लेकिन 1/4 हिस्सा में **त्रुटिपुर्ण तौर खंगाराम पुत्र भबुता का अंकन** है। इस सबंध में पटवारी हल्का शिवतलाव द्वारा की जांच एवं इस पर तात्कालीन तहसीलदार, बाली द्वारा वर्ष 2018 में की गई टिप्पणी के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण का मामला दुरस्ती योग्य हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूरा. अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम मालारी पटवार हल्का शिवतलाव के खसरा नंबर 595, 602, 604, 605 कुल रकबा 3.27 हैक्टर के 1/4 हिस्सा में दर्ज पिता की **त्रुटिपुर्ण वल्दियत खंगार पत्र भबुता** को दुरस्ती के माध्यम से **खंगार पुत्र खेताजी** दर्ज किये के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, शिवतलाव को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। **उपखण्ड अधिकारी,** **बाली**	

Scanned with CamScanner